इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 607]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 नवम्बर 2017—कार्तिक 23, शक 1939

#### वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-ए-3-32-2017-1-पांच(145)

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2017

राज्य सरकार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एततद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3-32/2017/1/पांच (72) दिनांक 21.07.2017, में आगे भी निम्न लिखित संशोधन करती है अर्थात:-

### उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

- (i) क्रम सं. 3 के समक्ष, मद (vi) में, कॉलम (3) में शब्द "की गई हो" के स्थान पर "की गई मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा परिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं. 7 के समक्ष,-
  - (क) कॉलम (3) की मद सं. (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(i) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से		बशर्ते सेवा की पूर्ति
के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली		करने में प्रयुक्त माल
आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में		और सेवाओं पर
हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या		प्रभारित इनपुट कर का
जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद,		प्रत्यय नहीं लिया गया
आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवंज में हो,	2.5	है । (कृपया
और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो		स्प्ष्टीकरण सं. (iv)
जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य		का निर्देश करें)";
पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया		
जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर		
उपभोग करने के लिये, उपलबंध कराया जाता है, जो कि उनसे		
भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स,		
संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में		
अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के	•	
लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का		
घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाचं सौ रूपये और		
इससे अधिक हो या समकक्ष।		
FUESTA III WASSE NO. 11		
स्पष्टीकरण "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने		
के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई		•
उन उन्निजा, असे फनायर, वातानुक्रिक,		**************************************
रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते		
हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।		
जिल्लामाटा का अपवाजत किए बिना ।		

<sup>(</sup>ख) कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) ऐसी वस्त्ओं की किसी सेवा के रूप में या उसके		
हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने	1.	
वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु		
के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया		
जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति	9	77-
या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल	1	<b>-";</b>
के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट,		
द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं,		
चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के		
द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या		
उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता		
है, जो कि किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स,		
संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के		
परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या		,
ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके	•	
किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई	• •	
सात हजार पाचं सौ रूपये और इससे अधिक हो या		
समकक्ष ।		
स्पष्टीकरण "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास		
(ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में		
उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर,		
वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के		
लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित		
प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित		
किए बिना ।		

<sup>(</sup>ग) कॉलम (3) की मद सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, को निरसित कर दिया जाएगा;

(घ) मद (ix) में, कालम (3) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

"(ix) आवास , भोजन और पेय सुविधाएं जो कि उपर्युक्त (ii), (iii), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न हों ।

स्पष्टीकरण.- किसी भी प्रकार के संदेह के समाधान के लिए एतत द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो ऐय के रूप में हों, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलबंध कराया जाता है, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाचं सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष पर उपर्युक्त मद (i) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 2.5 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर लगाया जाएगा न कि उस दर से जो कि इस प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट हैं।"

(iii) क्रम सं. 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप-मद (ज) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

"(i) हस्तशिल्प वस्तुओं का विनिर्माण;

स्पष्टीकरण- "हस्तिशिल्प वस्तुओं" का अभिप्राय वहीं होगा जो इसके लिए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3-62-2017-1-पांच (102) दिनांक 15.09.2017, समय-समय पर यथा-संशोधित, में दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार, उपसचिव.

#### भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2017

क्र. एफ-ए-3-32-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-ए-3-32-2017-1-पांच(145), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार, उपसचिव. No. F-A- 3-32-2017-1-V(145)

Bhopal, the 14th November, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. FA-3-32-2017-1-V(41) dated 29.06.2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against serial number 3, in column (3), in item (vi), for the words "Services provided", the words "Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, provided" shall be substituted;
- (ii) against serial number 7,-
  - (a) for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(i) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent.  Explanation "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)].";

(b) for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent.  Explanation "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	9	•**,

- (c) the item (iv) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), shall be omitted;
- (d) in item (ix), in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-
- "(ix) Accommodation, food and beverage services other than (ii), (iii), (v), (vii), (vii) and (viii) above.

Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent shall attract central tax @ 2.5%

without any input tax credit under item (i) above and shall not be levied at the rate as specified under this entry.";

- (iii)against serial number 26, in column (3), in item (i), after sub-item (h), the following shall be inserted, namely: -
  - '(i) manufacture of handicraft goods.

Explanation. - The expression "handicraft goods" shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. FA3-62/2017/1/V(102) dated 15.09.2017 of this department as amended from time to time.'

2. This notification shall come into force with effect from 15<sup>th</sup> of November, 2017.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh, ARUN PARMAR, Dy. Secy.